अध्याय 13

सरकार और लोक कल्याण

बहुत लम्बे समय तक यह माना जाता रहा कि बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, राष्ट्र के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों के विवादों का समाधान करना— एक देश की सरकार के प्रमुखतः यही कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास सेना, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था होती है। समय गुजरने के साथ–साथ यह समझा जाने लगा कि सरकार जन कल्याण के कार्य भी करे, अर्थात् ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ चलाए जिनसे सभी नागरिकों का जीवन सुखी हो और उनमें समानता स्थापित हो। ऐसी योजनाओं तक सभी की पहुँच होनी चाहिए। लोगों को भय, भूख और भेदभाव से मुक्ति मिले। भारतीय संस्कृति में प्रजा के शिक्षण, रक्षण और भरण–पोषण का कर्त्तव्य सरकार का माना गया है।

इस प्रकार 'लोक कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा के परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों में बड़ी मात्रा में ऐसे कार्य जुड़ गए, जिनका संबंध नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के साधन उपलब्ध करवाने से हैं। लोक कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करती है।

लोक–कल्याण लोकतांत्रिक सरकार द्वारा ही संभव है। आजकल की अधिकांश सरकारें लोकतांत्रिक एवं जनकल्याणकारी सरकारें होती हैं। सरकार का प्रत्येक स्तर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। न्यूनतम् जीवन–स्तर की गारण्टी, शिक्षा, आजीविका कमाने के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— ये बातें एक लोक कल्याणकारी सरकार के कर्त्तव्य समझी जाती हैं। एक अच्छे शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया है। संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वे ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित करेगी जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो। भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सरकार की इन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, जिनसे लोक कल्याण हो। सरकार से यह आशा रखी गई है कि वह इन जिम्मेदारियों को निभाएगी।

आजादी के बाद से ही भारत सरकार और राज्यों की सरकारों ने अनेक ऐसे कानून बनाए और कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनका उद्देश्य लोक कल्याण रहा है। भोजन, आवास, स्वास्थ्य–सुविधाएँ, शिक्षा व रोजगार से संबंधित ऐसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

अब हम प्रमुखतः हमारे राजस्थान राज्य के संदर्भ में वर्तमान समय में संचालित इस प्रकार के प्रमुख कार्यकर्मों और कुछ कानूनों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रम

सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं– प्रथम वे, जो कि सभी नागरिकों के लिए होती हैं तथा दूसरी वे, जो किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए होती हैं, जैसे–'निर्धन रेखा से नीचे '(बी.पी.एल.) जीवन जीने वाले वर्गों के लिये योजनाएँ। राजस्थान सरकार राज्य में दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रही है। इनमे से अनेक कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित हैं।

(1) शिक्षा–व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया है। इसके लिए 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम' बनाया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और विशेष योग्यजन वर्ग के विद्यार्थियों, अनाथ विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभावान् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। शिक्षा में पिछड़े उपखण्डों में 'कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय' और 'स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल' भी संचालित किए जा रहे हैं तथा राजकीय विद्‌यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए ' शारदे बालिका छात्रावास' संचालित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 'स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल' चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जा रहे हैं। केंदीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध इन विद्यालयों में 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित होती है। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराया जाता है तथा कक्षा 6 से 8 में भी अंग्रेजी शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु ये विद्यालय सभी संसाधनों से सुसज्जित हैं, जैसे– सुविकसित खेल मैदान, आई.सी.टी.लैब, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय व वाचनालय, अंग्रेजी शिक्षण हेतु लिंग्वा लैब, के–यान आदि। इन विद्यालयों का संचालन पूर्ण रूप से केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर किया जाता है। राजस्थान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होंगे।

गतिविधि–
आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(2) खाद्य सुरक्षा–लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों को सम्मानपूर्वक दो वक्त का भोजन प्राप्त हो। 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पी.डी.एस.) के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (जो कि 'अंत्योदय योजना' में चयनित हैं या बी.पी.एल. वर्ग से संबंधित हैं) और अन्य समूहों को सस्ती दरों पर गेंहूँ, चीनी आदि खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। उचित मूल्य पर केरोसिन भी उपलब्ध करवाया जाता है। निजी सहभागिता के माध्यम से आम लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की अनेक वस्तुएँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाने लगी हैं। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गतिविधि–अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से तथा अपनी ग्राम पंचायत से विभिन्न खाद्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(3) चिकित्सा–यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावी और सस्ती हों तथा सबकी पहुँच में हों। राजस्थान सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना' के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा अधिकतर चिकित्सा जाँचें भी निःशुल्क की जाती हैं। पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

टॉल फ्री '104' टेलिफोन नम्बर पर कोई भी नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकता है तथा इसी नम्बर पर जननी व शिशुओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। एक अन्य '108' नम्बर पर भी निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है। 'जननी व शिशु सुरक्षा' योजना के अन्तर्गत माता व शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

National Health Mission

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

गतिविधि–
अपने क्षेत्र के राजकीय चिकित्सा केंद्र का भ्रमण कर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

सबके लिए आवास

(4) आवास–मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। एक साधारण नागरिक को अपना मकान उपलब्ध होने से महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। सरकार का निश्चय है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहे। इसके लिए अनेक योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। आवासहीन चयनित ग्रामीण गरीब परिवारों को 'मुख्यमंत्री आवास योजना' और 'इन्दिरा आवास योजना' में निःशुल्क भूखण्ड व आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' में आवासहीन गरीब परिवारों को वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गतिविधि–

अपने क्षेत्र की ग्राम–पंचायत या नगरीय निकाय से विभिन्न आवासीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

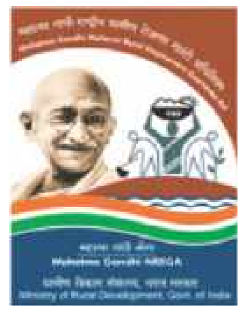

(5) रोजगार–'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' (महात्मा गाँधी नरेगा) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की माँग करने पर उसके घर के निकट ही वर्ष में न्यूनतम् 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पन्द्रह दिनों में रोजगार उपलब्ध न हो सकने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा रोजगार के साथ–साथ ही क्षेत्रीय विकास के अनेक कार्य भी सम्पन्न हो पा रहे हैं। इन कार्यों से सृजित सम्पत्तियों का अभिलेखों से मिलान कर के ग्राम–सभा द्वारा वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।

राज्य में जगह–जगह रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं, जिनमें युवाओं में कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। अनेक प्रसिद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। समय–समय पर जिले में रोजगार शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें रोजगार और प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाता है।

गतिविधि –

1. अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से रोजगार प्रशिक्षण व रोजगार योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. आपके ग्राम–पंचायत क्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची बनाइये।

(6) **श्रम कानून**– मजदूरों एवं कामगारों को शोषण से बचाने के लिए उनके काम के घण्टे और न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी दिया गया है। उनके श्रम संबंधी विवादों के समाधान के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं।

(7) **सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवम् बीमा योजनाएँ**– वृद्धजन, एकल महिलाओं, विशेष योग्यजनों व अन्य चयनित जरूरतमन्दों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य–बीमा एवं दुर्घटना–बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं। किसानों की फसलों के लिए 'फसल मौसम बीमा' प्रदान किया जा रहा है।

(8) **भामाशाह योजना**– यह वित्तीय समावेशन हेतु एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। सदस्यों का बैंक में खाता भी खुलवाया जाता है। इससे महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि, छात्रवृत्ति राशि एवं अन्य योजनाओं का धन सीधे व शीघ्रता से खाताधारक के खाते में जमा करवाने की सुविधा मिल जाती है। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस योजना में उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थापित 'अटल सेवा केन्द्र' पर मिनी बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

गतिविधि–
अपनी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से भामाशाह योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(9) **'ई–गवर्नेन्स'**–नागरिक बिना सरकारी कार्यालय में जाए अपने घर के नजदीक ही या घर बैठे भी अपना काम करवा सके, इसके लिए इण्टरनेट प्रणाली पर आधारित 'ई–गवर्नेन्स' व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। राज्य में इसके लिए निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्था स्थापित की गई है :–

1. अनेक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जगह–जगह 'ई–मित्र केन्द्र' स्थापित किये गए हैं।
2. ग्राम–पंचायत स्तर पर स्थित 'अटल सेवा केन्द्र' पर ई–मित्र व मिनी बैंकिंग जैसी अनेक सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
3. पंचायत समिति मुख्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय में 'सूचना कियोस्क' (टच स्क्रीन कियोस्क) स्थापित किए गए हैं। इसके द्वारा सरकारी सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। सरकारी विभागों को अपने सुझाव और शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं।
4. इण्टरनेट के माध्यम से 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है व सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। इसके जरिये प्रशासन सम्बन्धी अनेक सूचनाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं।

5. करीब–करीब सभी विभागों में समस्याएँ दर्ज करवाने के लिए 'टोल फ्री' टेलीफोन सेवा प्रारम्भ कर दी गई है।

6. कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिये 'डिजिटल इण्डिया' अभियान चलाया जा रहा है ।

गतिविधि–

अपने नजदीक के 'ई–मित्र केन्द्र' या 'अटल सेवा केन्द्र' पर जाकर वहाँ उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इससे सम्बन्धित कई कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं। आइए, अब हम इनकी चर्चा करें–

लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही

योजनाओं की क्रियान्विति सुचारू रूप से हो तथा उनका लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए उन्हें लागू किया गया है, यह सुनिश्चित हो, इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो यह कि जनता में पर्याप्त जागरूकता हो और वह सरकार के काम–काज पर नजर रखें। दूसरा यह कि लोगों को इन योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन संबंधी सूचना व हिसाब–किताब की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। अतः सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं।

1. **सूचना का अधिकार अधिनियम**–देश में सरकार से जुड़ी हुई जानकारी लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। सही सूचना की उपलब्धता जीवन का आधार बनती है। सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान का योगदान देश में महत्त्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए एक लम्बे समय तक आंदोलन किया और यह अधिकार हासिल किया। इसके लिए सन् 2000 में राजस्थान में तथा सन् 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने। इन कानूनों के बन जाने पर कोई भी नागरिक सरकार की नीति, योजना, कार्य एवं हिसाब–किताब से सम्बन्धित रिकॉर्ड की सूचना सरकार के संबंधित विभाग से माँग सकता है। माँग करने पर उसे एक निश्चित समय में सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं से हमें सरकार के कार्यों की और हिसाब–किताब की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है। यदि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार है, तो इस संबंध में शिकायत की जा सकती है।

2. **राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011**– इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य है– ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य एवं आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। इन विभागों की विभिन्न लोकसेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध करवाने की एक अवधि निश्चित कर

दी गई है। यदि उस निश्चित अवधि में नागरिक को वह सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो शिकायत करने पर संबंधित लोक सेवक अधिकारी अथवा कर्मचारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह सेवाओं को शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया गया है और भ्रष्टाचार तथा लेट–लतीफी की स्थिति पर अंकुश लगाया गया है।

3. **राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम**– अगस्त 2012 से इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया गया है। राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम या योजना तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही लोक सेवा के सम्बन्ध में आम जनता की शिकायतों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु इस अधिनियम के द्वारा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर संभाग स्तर तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की शिकायतें सुनने के लिए लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग की शिकायत या समस्या ग्राम पंचायत स्तर के लोक सुनवाई अधिकारी (ग्राम सेवक पदेन सचिव) को दी जा सकती हैं। शिकायत प्राप्ति की रसीद हाथों–हाथ दी जाती है। यहाँ से उस शिकायत या समस्या को निवारण के लिए उसे संबंधित विभाग में पहुँचा दिया जाता है। अगर नियत समय सीमा में सुनवाई नहीं होती है या निर्णय के प्रति असंतोष है, तो बड़े अधिकारी को अपील की व्यवस्था भी है। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान भी है।

जैसा कि हम पाठ के आरम्भ में पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में विश्व की अधिकांश सरकारों का स्वरूप लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी है। लोकतंत्र में जनता एक निश्चित अवधि के बाद नई सरकार चुनती है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसने कहाँ तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

शब्दावली

न्यूनतम् जीवन स्तर	–	रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आधारभूत आवश्यकताओं का वह न्यूनतम् स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए वांछित है।
कल्याणकारी राज्य	–	वह सरकार जो नागरिकों को न्यूनतम् जीवन स्तर की सुविधाएँ, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	–	समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिये स्थपित प्रणाली
कौशल	–	दक्षता
विषेष योग्यजन	–	मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि–बाधित और शारीरिक रूप से बाधित अन्यथा सक्षम व्यक्ति।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) लोक कल्याणकारी योजनाएँ निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित होती हैं –

   (अ) भोजन और आवास से (ब) स्वास्थ्य सुविधाओं से

   (स) शिक्षा और रोजगार से (द) उपर्युक्त सभी से ( )

   (ii) लोक कल्याणकारी सरकार के कर्त्तव्यों में सम्मिलित हैं–

   (अ) न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी (ब) शिक्षा और रोजगार

   (स) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (द) उपर्युक्त सभी ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

   (i) ....से .... वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।

   (ii) निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के लिए टोल फ्री नम्बर .... है।

   (iii) .... के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान की जनता ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(I) अन्त्योदय योजना	ई–गवर्नेन्स
(ii) महात्मा गाँधी नरेगा	कम्प्यूटर शिक्षा
(iii) ई–मित्र	खाद्‌य सुरक्षा
(iv) डिजिटल इण्डिया अभियान	ग्रामीण रोजगार

4. लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं ?

5. सरकार की जवाबदेही से सम्बन्धित तीन कानूनों के नाम लिखिए।

6. निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित लोक कल्याणकारी योजना के बारे में बताइए–

   (I) शिक्षा (ii) खाद्‌य सुरक्षा (iii) चिकित्सा

   (Iv) आवास (v) रोजगार (vi) ई–गवर्नेन्स